पत्रांकः—सं०सं०—6 / एन0—15—74 / 2025...................

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषयः— राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सत्रों (Outreach Sessions) एंव आदर्श प्रतिरक्षण केन्द्रो (Model Immunization Centres) पर कार्य करने हेतु रू०—11,500/— (ग्यारह हजार पाँच सौ) प्रतिमाह पर संविदागत नियोजित ए०एन०एम० कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर रू०—15,000/— (पंद्रह हजार) किये जाने तथा 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में संविदागत ए0एन0एम0 का पद सृजित नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में बाह्य सत्रों (Outreach Sessions) एवं आदर्श प्रतिरक्षण केन्द्रों (Model Immunization Centres) पर कार्य करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के विज्ञापन संख्या—03/2020 के आलोक में विभागीय पत्रांक—456(12) दिनांक—31.03.2022 द्वारा कुल—865 संविदागत ए0एन0एम0 को तत्समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियोजित ए0एन0एम0 को अनुमान्य मानदेय 11500/— (ग्यारह हजार पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह के समतुल्य दर पर नियोजित करते हुए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के अधीन पदस्थापित किया गया था।

2—वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदागत नियोजित ए0एन0एम0 कर्मियों को 15000/— (पन्द्रह हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) में 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का आर्थिक लाभ अनुमान्य है। इसी के अनुरूप राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में बाह्य सत्रों (Outreach Sessions) एवं आदर्श प्रतिरक्षण केन्द्रों (Model Immunization Centres) पर कार्यरत कुल—865 संविदागत ए0एन0एम0 कर्मियों का भी मानदेय प्रतिमाह 15000/— (पन्द्रह हजार) रूपये एवं 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

3—अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सत्रों (Outreach Sessions) एंव आदर्श प्रतिरक्षण केन्द्रो (Model Immunization Centres) पर कार्य करने हेतु रू०—11,500/— (ग्यारह हजार पाँच सौ) प्रतिमाह पर संविदागत नियोजित ए०एन०एम० कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर रू०—15,000/— (पंद्रह हजार) किये जाने तथा 05 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

4–उपर्युक्त मानदेय दर 1 सितम्बर 2025 से प्रभावी होगा तथा भविष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर नियोजित ए०एन०एम० कर्मियों के मानदेय पुनर्निधारित होने पर उक्त मानदेय का लाभ स्वतः इनको भी अनुमान्य होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–6/एन0–15–74/2025 1226(6), दिनांकः– 04/10/2025

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

04/10/2025